

कार्यालय: मालखाना अनुभाग व्यवहार न्यायालय पंडरिया,
जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

// निलामी हेतु सूचना प्रकाशन //

सिविल कोर्ट पण्डरिया, जिला- कबीरधाम के अंतर्गत आपराधिक प्रकरणों में जप्तसुदा 03 नग मोटर सायकल का निलामी दिनांक 08/03/2026 को सिविल कोर्ट पण्डरिया, जिला- कबीरधाम के परिसर में सुबह 11.00 बजे से किया जाना है।

निलामी झापन की नियम एवं शर्तों की जानकारी हेतु कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम के वेबसाइट <https://kabirdham.dcourts.gov.in/> का अवलोकन कर सकते हैं।

अनुमोदि
S. J. M.

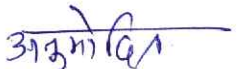
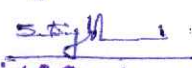
Principal District & Sessions Judge
Kabirdham (C.G.)

Ay
प्रभारी अधिकारी,
मालखाना अनुभाग
व्यवहार न्यायालय पंडरिया

निलामी हेतु निम्नलिखित शर्त है:-

1. निलामी की कार्यवाही दिनांक 08/03/2026 को 11.00 बजे से प्रारम्भ होगी।
2. निलामी का स्थान सिविल कोर्ट परिसर पण्डरिया होगा।
3. विभिन्न दायित्व प्रकरणों में जप्त सुदा संपत्ति जो जैसी स्थिति में है वैसी ही निलामी के लिए रखी जावेगी उसका न्यूनतम मूल्य वर्तमान दशा में स्थित उस संपत्ति का वास्तविक निर्धारित मूल्य होगा। जिसके निलामी के समय अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को विक्रय कर दी जावेगी।
4. निलामी दिनांक को न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर कोई भी व्यक्ति भाग ले सकेगा किन्तु न्यायालयीन कर्मचारी या उसका कोई सदस्य या उसका रिश्तेदार अथवा अधिवक्ता मुंशी निलामी में भाग नहीं ले सकेगा।
5. विक्रय मूल्य तत्काल नगद जमा किया जावेगा और विक्रित संपत्ति को तत्काल सौंप दिया जायेगा। विक्रित संपत्ति के संबंध में जमा रकम का क्रेता को तत्काल रसीद प्रदान की जावेगी।
6. निलामी के भग लेने वाला क्रेता अपनी स्वयं की पहचान संबंधी आधार कार्ड एवं उसकी छाया प्रति साथ लेकर आएंगे।
7. कुल जमा राशि को संभव हुआ तो उसी कार्य दिवस में या अनिवार्य रूप से आगामी कार्य दिवस को शासन के पक्ष में बैंक चालान के जरिये जमा किया जावेगा।
8. निलामी की जाने वाली संपत्ति का लोक निलामी दिनांक 8/3/2026 को क्रेताओं के समक्ष किया जावेगा एवं कार्यालय- कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (वि./या) संभाग दुर्ग छोगा के ज्ञापन क्रमांक 533/तक/2026, दुर्ग दिनांक 23/01/2026 द्वारा उक्त संपत्तियों का मूल्य निर्धारण के अनुसार न्यूनतम बोली के मूल्य का निर्धारण किया जावेगा।
9. निलामी कृत संपत्ति के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को दावा आपत्ति हो तो वह अपनी दावा आपत्ति निलामी तारीख के ठीक एक दिन पहले प्रस्तुत कर सकेगा। अपनी दावा आपत्ति के संबंध में आपत्तिकर्ता को अपने आपत्ति के समर्थ में दस्तावेज भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। आपत्ति सही पाये यजाने पर संबंधित संपत्ति निलामी कार्यवाही रोक दी जावेगी और दावा आपत्ति का निराकरण किया जावेगा।
10. प्राप्त दावा सभी संपत्तियों के निराकरण उसी दिन कर दिया जावेगा यदि कोई दावा आपत्ति नहीं होती है तब ऐसी दशा में निलामी की प्रक्रिया/ कार्यवाही नियमानुसार जारी रहेगी।
11. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निलामी तारीख के पश्चात दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।
12. निलामी की सूचना की सूचना कार्यालय- माननीय श्रीमान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम, कार्यालय कलेक्टर कबीरधाम, पुलिस अधीक्षक कबीरधाम, नगर पालिका परिषद पण्डरिया, अनुभागीय अधिकारी पण्डरिया को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु भेजी जावेगी।
13. प्रत्येक संपत्ति की निलामी प्रक्रिया का नोटसीट तैयार किया जावेगा।
14. प्रकरण में शेष जप्तसुदा संपत्तियां जैसे तांबा, स्टील, एल्युमिनियम, लोहा, एवं अन्य वस्तुएं व उपकरण एल्युमिनियम, तार टुल्लु पम्प उक्त संपत्तियों का निम्नानुसार धातु के अनुसार प्रति किलो के हिसाब से रेट निर्धारित किया जा सकता है।

अतः माननीय महोदय की ओर सादर आवश्यक कार्यवाही करने अनुमोदन हेतु माननीय महोदय के समक्ष प्रेषित है।



Principal District & Sessions Judge
Kabirdham (C.G.)


प्रभारी अधिकारी,
नजारत, मालखाना, पण्डरिया